


:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने भेरे समक्ष उपरिथत होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती पारदर्शक प्रणालि में किये जाने के लिए प्रार्थिगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-


पूर्व इन्द्राज					रवीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्वोज	56	जगदीश सिंह मूल सिंह का राज्य न शेखदागा	401 215	7.114	जगदीश सिंह मूल सिंह का राज्य न शेखदागा	401 215	7.114

क्रमांक :- 02/11/21

  
 शिविर प्रभारी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सी.डी.डी.)  
 PCKSA-2021, पं.स. मौलासर  
 दिनांक :-

प्रतिलिपि-पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

  
 शिविर प्रभारी  
 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सी.डी.डी.)  
 PCKSA-2021, पं.स. मौलासर  
 दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य पटवारों को भी निर्माण कार्य पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर